

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनीषा लेघा (आर.ए.एस)

वाद संख्या :- 09/2013

1. बिरदा पुत्र रामनाथ, जाति मीणा
निवासी-ग्राम चोखलावास उर्फ कचेरावाला तहसील आमेर जिला जयपुर

—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर
तहसील आमेर जिला जयपुर
2. वन विभाग फोरेस्टर कूकस तहसील आमेर जिला जयपुर
3. वन विभाग रेंजर आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत :- धारा 151 सीपीसी विधिक तनकीयात का प्राथमिकता पर निपटारा

निर्णय

दिनांक : 21.10.2019

प्रार्थी प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी बाबत विधिक तनकीयात का प्राथमिकता पर निपटारा किये जाने के सन्दर्भ में प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अधिवक्ता प्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 14.07.2017 को संशोधित तनकीयात कायम की गई है, जिसमें दो विधिक तनकीयात इस प्रकार कायम की गई है कि—

“आया विवादित भूमि वन भूमि है, वन भूमि के संबंध में सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है”

—प्रतिवादी

“आया वादी का वाद अर्जेन्सी नेचन का नहीं है वादी का दावा धारा 80 सीपीसी के मैडेटरी प्रावधानों की पालना के अभाव में लौटाए जाने/खारिज किए जाने योग्य है”

—प्रतिवादी

उक्त तनकीयात का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त प्रकरण के संदर्भ में ही न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने निगरानी/टी.ए. सं. 12140/2003 में दिनांक 10.01.2012 को निर्णय पारित किया है कि— “परीक्षण न्यायालय को निर्देश है कि वे वन विभाग द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथनों के आधार पर विवाद्यक निर्धारित करें एवं यदि इनमें कोई कानूनी विवाद्यक हो तो उसका निर्णय प्राथमिकता के आधार पर कर दिया जावे।” उक्त आदेश/निर्णय की प्रति न्यायालय हाजा की पत्रावली में पेशशुदा है। सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अन्तर्गत आदेश 14 नियम 2 का हवाला देते हुये अधिवक्ता प्रार्थी प्रतिवादी ने अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त प्रावधान के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा सभी विवाद्यकों पर निर्णय सुनाये जाने के सन्दर्भ में उल्लेखित है कि — (1) इस

बात के होते हुए भी वाद का निपटारा प्रारम्भिक विवाद्यक पर किया जा सकेगा, न्यायालय उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभी विवाद्यकों पर निर्णय सुनायेगा। (2) जहा विधि विवाद्यक और तथ्य विवाद्यक दोनों एक ही वाद में पैदा हुए है ओर न्यायालय की यह राय है कि मामले या उसके किसी भाग का निपटारा केवल विधि विवाद्यक के आधार पर किया जा सकता है वहा यदि वह विवाद्यक न्यायालय की अधिकारिता अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा सृष्ट वाद के वर्जन से संबंधित है तो न्यायालय पहले उस विवाद्यक का विचारण करेगा और उस प्रयोजन के लिए यदि वह ठीक समझे तो, वह अन्य विवाद्यकों का निपटारा तब तक के लिए मुलतवी कर सकेगा जब तक कि उस विवाद्यक का अवधारणा न कर दिया गया हो और उस वाद की कार्यवाही उस विवाद्यक के विनिश्चय के अनुसार कर सकेगा।

उक्त प्रावधान के अनुसार न्यायालय हाजा के अनुसार कायम तनकी जिसमें उल्लेखित है कि –“आया विवादित भूमि वन भूमि है, वन भूमि के संबंध में सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है” , को साबित करने का भार प्रार्थी/प्रतिवादी पर है, जिसके क्रम में वन विभाग की वन बन्दोबस्ती के अनुसार खसरा नम्बर 174 रकबा 48 बीघा वन विभाग का है (उक्त वन बन्दोबस्ती न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है) जिससे उक्त तनकी बखुबी साबित है। इसके अतिरिक्त वादी ने खसरा नम्बर 174 रकबा 212 बीघा 3 बिस्वा होना जाहिर किया है, जबकि खसरा नं. 174 का रकबा मात्र 48 बीघा ही है। खसरा नं. 174 की भूमि का रकबा 48 बीघा है जो सन 1939 से जयपुर फोरेस्ट एक्ट के तहत जारी प्रारम्भिक विज्ञप्ति दिनांक 15.10.1947 को आरक्षित वन क्षेत्र किये जाने का प्रस्ताव पारित किया जा चुका था। जिसके पश्चात दिनांक 21.11.1961 की विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व सभी हितधारीयों के क्लेम/मुआवजे से संबंधित समस्त आपतियों का निस्तारण कर दिया गया, के पश्चात अपील का समय व्यतीत हो जाने के बाद दिनांक 15.01.1962 से इसे आरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया व वन विभाग को इस भूमि का पूर्ण स्वामित्व सम्भलवा दिया गया। खसरा नं. 174 का रकबा 48 बीघा ही रहा है 212 बीघा 3 बिस्वा कभी नहीं रहा यह तथ्य राजस्व रिकार्ड से सिद्ध है। अधिवक्ता प्रार्थी प्रतिवादी ने आगे अपनी बहस में यह भी कथन किया है कि राजस्व न्यायालयों को वन भूमि से संबंधित भूमियों संबंधी विवाद/प्रकरणों को श्रवणाधिकार नहीं है। उक्त सिद्धान्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 02.08.1999 के रिट पीटिशन उनवानी विद्यादेवी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में निर्धारित किया। इसके अतिरिक्त दिनांक 12.12.1996 ए.आई.आर 1997 एस.सी. 1228 में यह सिद्धान्त निर्धारित किया गया है कि वन भूमि की प्रकृति का किसी भी तरह परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

न्यायालय हाजा द्वारा कायम एक अन्य तनकी जिसमें उल्लेखित किया गया है कि—“आया वादी का वाद अर्जेन्सी नेचर का नहीं है, वादी का वाद 80 सीपीसी के मैडटरी प्रावधानों की पालना के अभाव में लौटाए जाने/खारिज किए जाने योग्य है” उक्त तनकीयात को भी साबित करने का भार प्रतिवादी पर है, के सन्दर्भ में अधिवक्ता प्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा कथन किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा रिकार्ड प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार विवादित भूमि खसरा नं. 174 रकबा 48 बीघा वन विभाग का है जबकि वादी ने खसरा नं. 174 रकबा 212 बीघा 3 बिस्वा बाबत कोई रिकार्ड पेश नहीं किया और ना ही खसरा नं. 174 की वर्तमान जमाबन्दी पेश की। इसके अतिरिक्त वादी ने अपने 30 वर्ष से अधिक के कब्जे बाबत कथन के सन्दर्भ में कोई रिकार्ड पेश नहीं किया। धारा 80 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार “किसी अन्य राज्य सरकार के विरुद्ध की दशा में उस सरकार के सचिव को या जिले के कलेक्टर को सूचना दिया जाना आवश्यक है तथा 80(2) सीपीसी के तहत न्यायालय की इजाजत से ही किसी सूचना की तामील किए बिना संस्थित किया जा सकता है। अधिवक्ता प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस में यह भी कथन किया गया है कि वादी को प्रार्थना पत्र 80(2) सीपीसी की छूट नहीं दी गई थी। न्यायालय हाजा की आदेशिका में 80(2) सीपीसी की छूट नहीं दी गई है

ना ही ऐसा कोई आदेश उपलब्ध है। जिससे 80(2) सीपीसी नोटिस के अभाव में दावा पोषणीय नहीं है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के विरुद्ध वाद की दशा में उस सरकार के सचिव को या जिले के कलेक्टर को पक्षकार बनाया जाना भी आवश्यक है। क्योंकि प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार जहां राज्य के विरुद्ध अनुतोष की मांग की गई है, वहां राज्य को पक्षकार बनाया जाना चाहिए, इसके अभाव में वाद पोषणीय नहीं होगा जो डिक्ली पारित की गई, वह अवैध होगी। इस प्रकार उक्त कायम दोनों विधिक तनकीयातों का निस्तारण करने के लिए मौखिक साक्ष्य की आवश्यकता ही नहीं होती, विधिक तनकीयात विधिक प्रावधानों के अनुरूप ही निस्तारित होती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि उपरोक्त तथ्यों विधिक प्रावधानों कानूनी नजीरों एवं माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.01.2012 एवं वन विभाग द्वारा प्रस्तुत वन बन्दोबस्ती गजट नोटिफिकेशन के क्रम में कायम विधिक तनकीयात पर प्राथमिक सुनवाई कर वादी का दावा खारिज फरमाया जायें।

प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अधिवक्ता अप्रार्थी वादी द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि वर्णित तनकीयात माननीय विचारण न्यायालय द्वारा कायम की गई है लेकिन उक्त तनकीयात पूर्णत विधिक तनकीयात न होकर तथ्य एवं विधि कि मिश्रित तनकी है, इसे साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। तथ्य एवं विधि के मिश्रित तनकी कानूनी साक्ष्य सबूतों द्वारा ही निस्तारित की जा सकती है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा उक्त तनकीयात को विधिक तनकी कतई नहीं माना बल्कि आदेश में स्पष्ट किया कि अगर कोई तनकी विधिक हो तो उसे प्रारम्भिक स्तर पर निस्तारित करें। प्रथम तनकी में जो वर्णित किया गया है कि— **“आया विवादित भूमि वन भूमि है वन भूमि के संबंध में सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है”** के सन्दर्भ में अधिवक्ता अप्रार्थी वादी द्वारा कथन किया गया है कि इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था लेकिन उक्त तनकी तथ्य एवं विधि की मिश्रित तनकी है जिसे दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों द्वारा ही तय किया जा सकता है। यह तनकी वन विभाग द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से तय नहीं हो रही है और ना ही कानूनन उक्त तनकी को इस स्तर पर तय किया जाना संभव है। वादी ने खसरा नं. 174 रकबा 212 बीघा 3 बिस्वा के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं एवं मौके पर वादी उक्त खसरा नम्बर के काबिज होकर अर्से दराज से काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी/प्रतिवादी ने खसरा नं. 174 का रकबा केवल मात्र 48 बीघा ही बताया है जबकि राजस्व रिकार्ड से उक्त खसरा नं. 174 रकबा 212 बीघा 3 बिस्वा है। इस कारण से यह तनकी प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा यह साबित करना शेष है कि प्रार्थी/प्रतिवादी खसरा नं. 174 के किस हिस्से का रिकार्ड न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है एवं खसरा नं. 174 जो कि सिवाई चक भूमि थी किस प्रकार से वन विभाग के खाते में दर्ज हुई है, यह प्रार्थी/प्रतिवादी ने साबित नहीं किया है। अन्य वाद बिन्दु जो इस प्रकार कायम किया गया है कि — **“आया वादी का वाद अर्जेंट नेचर का नहीं है वादी का दावा 80 सीपीसी के मैन्डेटरी प्रावधानों की पालना में लोटाये जाने/खारिज किये जाने योग्य है”**, के सन्दर्भ में अप्रार्थी वादी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि वादी ने अपने दावे के मद नम्बर 10 में न्यायालय से दावा प्रस्तुत करने से पूर्व छूट प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सीपीसी का प्रस्तुत किया है। जिस पर प्रार्थी ने बहस करने पश्चात ही उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की गई है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में यह भी कथन किया गया है कि खसरा नं. 174 का रकबा 48 बीघा वन विभाग का है इस बाबत प्रार्थी वन विभाग ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जबकि खसरा नं. 174 का रकबा 212 बीघा 3 बिस्वा है इसके बाबत समस्त दस्तावेज वादी द्वारा पेश किये गये हैं जिसके क्रम में नकल जमाबंदी सम्वत 2028 में खसरा नं. 174 रकबा 212 बीघा 3 बिस्वा एवं खसरा नं. 135 रकबा 15 बीघा सिवाई चक दर्ज है तथा वादी ने अपने कब्जे के संबंध में समस्त दस्तावेज पेश किये हैं। वादी ने राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाया हुआ है एवं राजस्थान सरकार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने के लिये

छूट बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सीपीसी का प्रस्तुत किया है तथा वादी ने अपने वाद पत्र में राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाया है जो कि बतौर प्रतिवादी संख्या 1 है जो लैण्ड हॉल्डर है। जिससे वादी का वाद खारिज योग्य ना होकर पोषणीय है। इस प्रकार उक्त दोनो तनकीयात पूर्णत विधिक तनकीयात नहीं है उक्त दोनों तनकी तथ्य एवं विधि की मिश्रित तनकी है जो कि इस स्तर पर निस्तारित किया जाना संभव नहीं है। इनके अतिरिक्त अप्रार्थी वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में यह भी कथन किया गया है कि प्रार्थी/प्रतिवादी ने न्यायालय के समक्ष पूर्व में भी इसी आधार पर आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिसमें माननीय न्यायालय ने दोनो पक्षों का सुनकर दिनांक 28.08.2000 को खारिज कर दिया था। जिसकी निगरानी प्रार्थी/प्रतिवादी ने माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की। जिसमें माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय 10.01.2012 द्वारा माननीय विचारण न्यायालय के आदेश को यथावत रखते हुये प्रार्थना पत्र को खारिज कर वाद पत्र का निस्तारण दोनो पक्षों को सुनकर तनकी वार निर्णय पारित करने हेतु आदेशित किया गया था। अतः प्रार्थी प्रतिवादी सं. 2 व 3 का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर तथ्यों के गुणावगुण पर प्रकरण के निस्तारण हेतु प्रकरण का अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत किया जावें।

अप्रार्थी वादी द्वारा अपने अभिकथनों के सन्दर्भ में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये हैं—

1. RBJ (7) 2000 पेज 37 से 40
2. RBJ (6) 1999 पेज 285 से 289
3. DNJ 2015 (1) पेज 183 से 184
4. RBJ (16) 2009 पेज 82 से 84
5. DNJ 2013 (1) पेज 224 से 226
6. RBJ (14) 2007 पेज 485 से 488

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। वादीगण द्वारा ग्राम कचेरावाला तहसील आमेर स्थित भूमि खसरा नं. 174 में से 13 बीघा आराजी पर पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी का अनुतोष चाहा गया है। प्रतिवादी सं. 2 व 3 प्रार्थीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर विवादित आराजी को वन भूमि बताया गया एवं संरक्षित वन क्षेत्र की भूमि अधिसूचित होना बताते हुए दावा न्यायालय के श्रवणाधिकार का नहीं होना जाहिर किया। तदनुसार तनकीयात कायम की गई। प्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तनकी सं. 5 व 6 पर प्रारम्भिक सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 16.11.2017 को प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी/वादी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रमाणित है कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जो आदेश दिनांक 28.08.2000 द्वारा खारिज किया गया था जिसके विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत निगरानी सं. टीए 255/2000 में पारित आदेश दिनांक 12.11.2000 द्वारा प्रकरण को वन भूमि होने के कारण न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं होना आदेशित किया गया था परन्तु माननीय राजस्व मण्डल के पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत होने पर निगरानी सं. टीए 12138-40/2003/जयपुर में पारित आदेश दिनांक 10.01.2012 द्वारा प्रकरण में प्रतिवादीगण से जवाब दावा लिया जाकर प्राथमिक तनकीयात के निर्णय हेतु निर्देशित किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अधिसूचना दिनांक 21.11.1961 से प्रमाणित है कि ग्राम कचेरावाला कि आराजी खसरा नं. 174 रक्षित वन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कर दी गई थी। आर.टी.ए की धारा 16 के प्रावधान के अनुसार वन भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। वन विभाग द्वारा यह जाहिर किया गया है कि अधिसूचित रक्षित वन भूमि के

विरुद्ध खातेदारी अधिकार क्लेम करने हेतु राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। फलस्वरूप उक्त अधिसूचना को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। वन विभाग द्वारा यह भी जाहिर किया गया है कि वादी वन विभाग की भूमि पर अतिक्रम की हैसियत से राजस्व विभाग द्वारा वादी के कब्जे को नियमित करने की प्रार्थना की गई है जो विधिक प्रावधानों के विरुद्ध है। वकील अप्रार्थी वादी द्वारा 2013(1)डी.एन.जे. (राज) पेज 224 के आधार पर कथन किया गया है कि क्षेत्राधिकार का बिन्दु विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न है। फलस्वरूप प्राथमिक तनकी के आधार पर दावों का निर्णय नहीं किया जाना चाहिए।

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधिसूचना दिनांक 21.11.1961 से प्रमाणित होता है कि ग्राम कचेरावाला स्थित आराजी भूमि खसरा नं. 174 रक्षित वन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित की गई थी। राज. टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार वन भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते तथा अधिसूचित रक्षित वन भूमि के विरुद्ध खातेदारी अधिकारों के क्लेम हेतु राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी से यह साबित है कि विवादित आराजी निर्विवाद रूप से अधिसूचित वन भूमि है व आराजी पर अतिक्रमण होने के कारण आराजी के नियमन का अनुतोष चाहा गया है, परन्तु वन भूमि होने के कारण आराजी के संबंध में किसी भी प्रकार के स्वत्व प्राप्त नहीं हो सकते हैं। फलस्वरूप प्रकरण में विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न निहित ना होकर सिर्फ कानूनी बिन्दु ही निहित है। अतः खसरा नं. 174 वन भूमि प्रमाणित होने के कारण तनकी का निर्णय प्राथमिक स्तर पर तय किया जाना अपेक्षित है। कानूनी बाध्यताओं के कारण प्रकरण को अनावश्यक रूप से विलम्बित रखना भी श्रेयस्कर प्रतीत नहीं होगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी सं. 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

